न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

1– कमला पप्पू तनय धुंधा गड़रिया,

2– घनश्याम , प्रकाश तनय नंदू गड़रिया,

3– बद्री प्रसाद लच्छू तनय कुटटू नापित ,

4– हरदास रामप्रसाद तनय बल्दू अहिरवार ,

5– भागीरथ, तनय दीने अहिरवार ,

द्वारा आज दि. 15-01-16 को

6– तुलसीदास तनय दीने अहिरवार ,फौत वारिसान

6(अ)– श्रीमति शशि पत्नि तुलसीदास विश्वकर्मा ,

6(ब)– आकाश 13 साल, प्रशांत 11 साल ना0 वा0 पुत्रगण तुलसीदास वली मॉ श्रीमति शशि पत्नि तुलसीदास विश्वकर्मा

सभी निबासी ग्राम पहाड़ी खुर्द , तहसील एवं जिला टीकमगढ,

6– महेन्द्र कुमार तनय दरबारी लाल जैन ,

7– कपूरी देवी पत्नि महेन्द्र कुमार जैन

निबासी– बड़ा कुरयाना, टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ .....आवेदकगण

वनाम

1– म0 प्र0 शासन ,

2– लाड़कुंवर वेवा लक्षमण कोरी

3– लक्षमन उर्फ वावा तनय गनपत कोरी (फौत) वारिसान,

अ– पप्पू तनय लक्षमन कोरी , ब– विजय तनय लक्षमन कोरी ,

सभी –निबासी भगतनगर कॉलोनी, टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिताः–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण कमांक 831/बी121/12–13 एवं 644/बी121/2012–13 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 07/01/2016 से परिवेदित होकर कर रहे हैं जो समय सीमा में है, तथा माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी।70 –दो/2016 जिला –टीकमगढ़

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश कमला आदि विरूद्ध शासन आदि	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18.1.16	आवेदकगण के अधिवक्ता ने यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक अपील 831/बी–121/12–13 एवं 644/बी–121/2012–13 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 7.01.2016 से परिवेदित होकर की है, आवेदक अधिवक्ता एवं केवियेटकर्ता/अनावेदकगण के तर्क श्रवण किये । अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर एवं कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेशों का अवलोकन किया । आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत सूची अनुसार दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। 2– आवेदकगण के अधिवक्ता ने अपने तर्को में उन्हीं तथ्यों का दोहराया गया है, जो निगरानी मेमो में लेख किये गये हैं। निगरानी के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने से वादग्रस्त भूमि खसरा न0 209 एवं 210 का वर्ष 1963–1964 में गनपत कोरी को नीलामी के आधार पर पटट्ा प्रदान किया गया था। निगरानी के साथ प्रस्तुत विकय पत्र के अनुसार वादग्रस्त भूमि गनपत के फौत होने पर उसके वारिसो द्वारा 1971 में जरिये वैनामा के कृष्णा देवी को विकय कर दिया जिसके आधार पर	

कृष्णा देवी का नाम भूमिस्वामी कि रूप में दर्ज हो गया उस समय संहिता की धारा 158 (2) एवं 165 (7 ख) प्रभावशील नहीं थी। कृष्णा देवी द्वारा उपरोक्त भूमि वैनामा के द्वारा दिनांक 29.4.1997 एवं 30.4.1997 को अपीलार्थीगण कमला, पप्पू, लच्छू, घनश्याम, प्रकाश, वद्रीप्रसाद, एवं लच्छू को विक्रय कर दी, तभी से उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। कलेक्टर जिला टीकमगढ एवं अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेशों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों का अवलोकन किये वगैर आदेश पारित किये गये हैं।

3– आवेदक के अधिवक्ता ने बताया है कि इसी प्रकार खसरा न0 198/2 की भूमि 1963–64 में गनपत को पटट्ा पर प्राप्त हुई थी, आवेदकगण की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत बी–1 वर्ष 1967–68 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि खसरा न0 198/2, 209 एवं 210 में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.3.1968 के द्वारा भूमिस्वामी अधिकार प्रदानर किये गये हैं तब संहिता की धारा 158 (2) एवं 165 (7 ख) अस्तित्व में नहीं थी। गनपत की मृत्यु के वाद उनके पुत्र लक्ष्मण द्वारा आवेदकगण भागीरथ एवं तुलसी को 1985 वादग्रस्त भूमि जरिये वैनामा के विक्रय कर दी थी, तभी से उनका नाम दर्ज चला आ रहा है। उपरोक्त में से कुछ भूमि वैनामा के द्वारा हुकुम यादव एवं राजाराम यादव तथा रामसेवक को बेच दी । जिससे आवेदक महेन्द्र एवं कपूरी ने कय कर ली, उनका नाम भी राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया । खसरा कमांक 199 की

भूमि हल्का कोरी को पटट्ा पर प्राप्त हुई थी। हल्का कोरी द्वारा उपरोक्त भूमि मेहराव खां को विक्रय की, मेहराव द्वारा आवेदकगण रामप्रसाद एवं हरदास को विक्रय कर दी । उपरोक्त भूमि का गनपत को पटट्ा नहीं मिला इस कारण गनपत या उसके वारिसान का उपरोक्त भूमि पर कोई हक अधिकार नहीं है। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने दस्तावेजों के साथ न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 टीक़मगढ के न्यायालयीन निर्णय की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की जिसमें एक व्यवहार वाद गनपत के पुत्रों लक्षमन, रज्जू, एवं पूरन द्वारा वाद भूमि का मालिक काबिज घोषित करने बावत व्यवहार वाद प्रस्तुत किया था, जो निरस्त हो गया था । जिसकी अपील फास्ट टेक कोर्ट में की गई थी वह भी निरस्त की गई, सिविल कोर्ट द्वारा वाद भूमि का गनपत को पटट्ा प्राप्त होना न मानकर हल्के कोरी को 1965–66 में पटट्ा प्राप्त होना पाया गया एवं विक्रय को उचित पाकर वाद एवं अपील निरस्त की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रा0नि0 2013 पृष्ठ क्र0 8 आधुनिक गृह निर्माण समिति वनाम म0प्र0 राज्य एवं राजस्व मण्डल द्वारा संदेश समैया वनाम शासन व अन्य प्रकरणों में माना है कि धारा 165 (7 ख) एवं धारा 158/3 का भूतलक्षी प्रभाव नहीं है।

4– अतः उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 111/बी–121/ 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 4.4.2013 तथा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा

प्रकरण कमांक अपील 831/बी–121/12–13 एवं प्रकरण कमांक अपील 644/बी–121/2012–13 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 07.01.2016 निरस्त किये जाते हैं तथा आदेशित किया जाता है कि वादभूमि पर पूर्ववत आवेदकगण के नाम दर्ज किये जावें । उभयपक्ष सूचित हों । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य